न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 27 / 2025

इन्द्रजीत सिंह निवासी प्लाट नम्बर 12, लाजवन्ती भवन सिविल लाईन टोंक
जिला– टोंक
––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 01.05.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 3.03.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

इस आर.टी.आई. सशुल्क आवेदन के साथ आपके कार्यालय कलेक्ट्रेट टोंक में दिनांक 22.01.2025 को रिसीव कराये गये परिवद की प्रति मय सलंग्न पुनः संलग्न है। जिसमें एक–एक शब्द में पीडा व्यक्त की गई है लेकिन आज तक प्रोपर सी.सी. प्रति की रिसीप्त हमें नहीं मिली है न ही दोषी कार्मिक पर की गई कार्यवाही बाबत हमें बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही समस्त की जानकारी अब मुझे मये पत्रावली आर.टी.आई. के तहत देने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 426 दिनांक 24.03.2025 व 521 दिनांक 8.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 413 दिनांक 17.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र कमांक 2062 दिनांक 08.04.2025 से सूचना के संबंध में अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर राजस्थान
652